

न्याय सब के लिए



विधि एवं न्याय मंत्रालय
भारत सरकार



पहल और उपलब्धियां

मई, 2014 से अप्रैल, 2018 तक

“सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय”
-श्री नरेन्द्र मोदी





नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

- अप्रैल 2015 और मई 2018 के बीच 18 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया; 331 न्यायाधीशों और 313 अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया और उच्च न्यायालयों में स्थायी नियुक्ति की गयी।
- वर्ष 2016 में उच्चतम नियुक्तियां की गयीं
 - उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 126 नई नियुक्तियां।
 - 131 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी पदों पर नियुक्ति।
- कानून और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों में नई नियुक्तियों की अनुशंसा करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
 - 21 जुलाई 2014, 30 दिसंबर 2015, 8 फरवरी 2016, 6 अप्रैल 2016, 29 नवंबर 2016 और 6 मार्च 2018 को मुख्य न्यायाधीशों को पत्र भेजे गए।



उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अतिरिक्त पदों का सूजन

कैलेंडर वर्ष	उच्च न्यायालयों में बनाये गये अतिरिक्त पद
2014 (26/05/2014 से 31/12/2014 तक)	78
2015	60
2016	35
2017	--
2018 (अब तक)	--
कुल	173

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में वृद्धि



उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों में अभूतपूर्व वृद्धि

20

2009-14

173

2014-16

अधीनस्थ न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के लिए अधिक राशि आवंटित

- केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई।
- परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की निगरानी के लिए राज्यों के सभी उच्च न्यायालयों में तीन न्यायाधीशों की समितियां गठित की गई हैं।
- 1993 से 2018 के बीच आवंटित कुल राशि का 43.54 प्रतिशत 2014 से 2018 के बीच आवंटित किया गया।

वर्ष	आवंटित राशि (₹ करोड़ों में)
1993 - 2013	3.4
2014 - 2018	2.6
कुल	6.10



न्यायिक अधिकारियों के निवास,
कोहिमा



चुमुकिदिमा में न्यायालय परिसर,
नागालैंड

न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाएँ



कुटुंब न्यायालय,
जशपुर



व्यवहार न्यायालय,
कुनकुरी



जूनियर सिविल जज कोर्ट बिल्डिंग,
वेमुलावाड़ा



जुडिशल रेजिडेंट क्वार्टर,
छत्तीसगढ़



डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
नार्थ सिकिकम



जे.एम.एफ.सी. कोर्ट बिल्डिंग,
उदयगिरि

अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बढ़ी बुनियादी सुविधाएँ

न्यायालय हॉल की संख्या



■ कुल निर्मित ■ निर्माणाधीन

कुल आवासीय इकाईयां



- अदालत के हॉल और आवासीय इकाईयों की कुल आवश्यकता: 22,440 (न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों के अनुसार)
- 30.06.2014 को अदालतों की संख्या 15,818 थी जो 31.03.2018 को बढ़कर 18,403 हो गई।
- इसके अलावा, 31.03.2018 को 2730 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन थे।
- जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों / न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाईयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 थी जो 31.03.2018 को बढ़कर 15,552 हो गई।
- इसके अलावा, 31.03.2018 को 1486 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन थीं।

न्यायपालिका के लिए बनायी गयीं आधारभूत सुविधाएँ

- ऑनलाइन निगरानी के लिए जिओ-टैगिंग की सुविधा के साथ मोबाईल एप तैयार।
- पायलट परीक्षण पांच राज्यों में पूरा हुआ।
- पूरे देश के लिए जल्द ही ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी।
- निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी और सुधार करने के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ वीडियो कॉल।



परलाखेमुंडी में जिला
न्यायालय भवन



वेमुलावड़ा में जूनियर सिविल न्यायाधीश
न्यायालय भवन





मंगन, उत्तरी सिक्किम में मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट बंगला



सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ) और बालीगुडा
में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के लिए
न्यायालय परिसर

जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाया जा रहा है

- जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों / न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों में 2,770 की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2014 के अंत में कुल पद 19,518 थे जो आज 22,474 हो गए हैं (15.15 प्रतिशत)
- कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या में 1,613 की वृद्धि हुई है। कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या 2013 की समाप्ति में 15,115 थी जो अब बढ़कर 16,728 हो गई है।



न्यायपालिका के वेतन और भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन और पारिवारिक पेंशन में वृद्धि


- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 1.1.2016 से संशोधित किया गया।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री जस्टिस (सेवानिवृत्त) पी.वी. रेण्डी की अध्यक्षता में दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) 16.11.2017 को देश के न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते को संशोधित करने के लिए स्थापित किया गया।
- अंतरिम रिपोर्ट जमा करने के बाद सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों को 30 प्रतिशत की अंतरिम राहत दी गई।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष न्यायालय

फास्ट ट्रैक कोट

- महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कमजोर वर्ग, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ लंबित मुकदमों में त्वरित सुनवाई के लिए।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या 281 (2015 के दौरान) से बढ़कर वर्तमान में 727 पहुंची।

फास्ट ट्रैक कोट की वृद्धि



सांसदों / विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए विशेष न्यायालय

- निर्वाचित सांसदों / विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए 11 राज्यों में 12 विशेष न्यायालय (जैसे (i) दिल्ली राजधानी क्षेत्र; (ii) आंध्र प्रदेश; (iii) तेलंगाना; (iv) तमिलनाडु; (v) केरल; (vi) कर्नाटक; (vii) महाराष्ट्र; (viii) मध्य प्रदेश; (ix) उत्तर प्रदेश; (x) बिहार; और (xi) पश्चिम बंगाल) स्थापित किये गए।
- मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई शुरू हुई।

न्याय वितरण में सुधार के लिए अदालतों का कम्प्यूटरीकरण

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहल “मुकदमों की डिजिटल फाइलिंग” का मई, 2017 में उद्घाटन।
- देश में कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ अदालतों की संख्या 13,672 से बढ़कर 16,089 हो गई है। ई-कोर्ट्स परियोजना (2014) के पहले चरण के अंत से अब तक 2,417 की वृद्धि।
- केंद्रीय मंत्री, विधि और न्याय ने 10 जनवरी, 2017 को डिजिटल लेनदेन से अदालतों द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सभी मुख्य न्यायाधीशों को लिखा था।


कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ
अदालतों की संख्या

16,089

13,672

2015

अब तक



- न्यायिक सेवा केंद्रों और इंटरनेट पर अब वादियों तथा वकीलों के लिए ई-कोर्ट्स सेवाएं उपलब्ध: केस फाइलिंग पुष्टिकरण, केस जांच और दोष अधिसूचना, केस पंजीकरण पुष्टि, केस आवंटन, सुनवाई की अगली तारीख, कारण सूची, केस स्थिति, दैनिक आदेश / कार्यवाही, निर्णय इत्यादि।
- वकीलों तथा वादियों के लिए एसएमएस के माध्यम से ई-कोर्ट्स सेवाएं: केस स्थिति, केस जांच / दोष, केस आवंटन और सुनवाई की अगली तारीख।
- वकील और वादियों के लिए ईमेल के माध्यम से ई-कोर्ट्स सेवाएं: कारण सूची और निर्णय / आदेश।
- न्यायाधीशों के लिए ई-कोर्ट्स सेवाएं: आंशिक स्वचालित आदेश तैयार करना, कारण सूची निर्माण, न्यायालय प्रबंधन उपकरण, आवधिक सांख्यिकीय विवरणों का निर्माण, और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के केस कानून।



ई-कोर्ट्स सेवाओं की शुरूआत

- **ई-कोर्ट्स पोर्टल वेब सेवाएँ:** ई-कोर्ट्स पोर्टल पर देखे जाने वाले वाले न्यायालय आदेशों की संख्या 2014 में केवल 64 से बढ़कर 2018 में 6.23 करोड़ हो गई है।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** 2014 तक इस परियोजना के तहत कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा नहीं थी। 488 न्यायालय परिसरों और संबंधित 342 जेलों के बीच अब वीसी सुविधाओं को कार्यान्वित किया गया है।
- **उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए आवेदन की ई-फाइलिंग** दिसंबर 2017 में शुरू की गयी। यह वकील, याचिका कर्ताओं इत्यादि को अपने मामलों को ऑनलाइन (किसी भी समय) दर्ज करने में सक्षम बनाता है। ऑनलाइन भुगतान और एसएमएस और ईमेल से सूचना देने की उन्नत सुविधाएं ई-फाइलिंग एप्लिकेशन का हिस्सा हैं।




ई-कोर्ट्स सेवाओं का आरंभ

■ **ई-कोर्ट के लिए मोबाईल ऐप एकीकृत क्यूआर कोड सुविधा** के साथ 22.07.2017 को लॉन्च किया गया। विभिन्न श्रेणियों के तहत उपलब्ध सेवाएं जैसे कि सीएनआर, केस स्थिति, कारण सूची और मेरे मामले। डाउनलोड की कुल संख्या 4.5 लाख से अधिक।

■ **ईमेल के माध्यम से सेवा वितरणः** ईमेल पते के पंजीकरण पर वादी के मेल बॉक्स में सूचियां, निर्णय, केस स्थिति इत्यादि प्राप्त की जा सकती हैं। प्रतिदिन 1 लाख से अधिक ईमेल भेजे जा रहे हैं।

■ **एसएमएस डिलीवरीः** एसएमएस डिलीवरी के माध्यम से केस जानकारी 2014 में शुरू। वकीलों, वादियों और न्यायाधीशों को मानक मोबाईल नंबर द्वारा एसएमएस डिलीवरी। मुकदमे से सम्बद्ध जानकारी सीएनआर नंबर (केस नंबर रिकॉर्ड) को एक विशेष मोबाईल नंबर पर भेज कर प्राप्त की जा सकती है। अब तक पोर्टल से 8.59 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे जा चुके हैं।



राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड



- ई-कोर्ट्स परियोजना के तहत, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) विकसित: सितंबर, 2015 से संचालित। एनजेडीजी वकीलों, वादियों, न्यायाधीशों और अन्य हितधारकों के लिए उपलब्ध है।
- एनजेडीजी की उपयोगिता: अदालत के मामलों के वास्तविक समय की सांख्यिकीय जानकारी देश, राज्य और जिला स्तर पर उपलब्ध। वरिष्ठ न्यायपालिका द्वारा लंबित मामलों के केस प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है।
- एनजेडीजी में अब तक 9.6 करोड़ लंबित और निपटाये गए मामले और 6.23 करोड़ से अधिक आदेश / निर्णय उपलब्ध हैं।
- उच्च न्यायालयों में भी अब एनजेडीजी संचालित है।

लंबित और विस्थापित मामले

9.6 करोड़


आदेश / निर्णय

6.23 करोड़

ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना: अधिक राशि का आवंटन

- ई-कोर्ट्स परियोजना देश में शीर्ष 5 केंद्रीय मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है।
- 2011-2014 के दौरान ₹ 629.50 करोड़ आवंटित किए गए।
- पिछले चार वर्ष (2014-18) के दौरान ₹ 936.98 करोड़ आवंटित किये गए।

ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना: राशि का आवंटन



ई-कोर्ट्स पोर्टल पर रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन

- ई-कोर्ट्स पोर्टल वादी, वकील और अन्य हितधारकों के बीच लोकप्रिय है। ई-ताल पोर्टल, जो इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन रिकॉर्ड करता है, पर दर्ज की गयी संख्या से यह देखा जा सकता है।
- जनवरी 2014 तक ई-कोर्ट्स पोर्टल द्वारा 2 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन दर्ज।
- अप्रैल, 2018 तक ई-कोर्ट्स पोर्टल द्वारा दर्ज 111 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन।

ई-ताल पोर्टल के माध्यम से
ई-कोर्ट्स में दर्ज इलेक्ट्रॉनिक
111 करोड़

2 करोड़

जनवरी 2014 तक

मार्च 2018 तक



वाणिज्यिक न्यायालय

- सरकार ने उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय डिवीजन अधिनियम में संशोधन के लिए 3 मई, 2018 को अध्यादेश पेश किया।
- अधिनियम धारा 3 के प्रावधान में संशोधन के माध्यम से दिल्ली और मुंबई में वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है।
- निर्दिष्ट मूल्य ₹10 लाख से घटाकर ₹3 लाख कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत पूर्व संस्था मध्यस्थता शुरू की गई है।

व्यापार करने के तरीके को सुधारने के लिए अन्य प्रयास

- विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017 लोकसभा द्वारा 15 मार्च, 2018 को पारित किया गया। यह अभी राज्यसभा में लंबित है।
- यह विधेयक विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में एक सामान्य नियम के रूप में विशिष्ट अनुबंधों को निष्पादित करने और विशेष परिस्थितियों में न्यायालयों द्वारा अपवाद के रूप में इनकार करने का प्रस्ताव करता है।
- अनुबंध संहिता लागू करने में, 2017 में भारत की रैंकिंग 2017 में 172 से बढ़कर 2018 में 164 हो गई।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की योजनाएं और लाभ (एनएएलएसए)

प्रति वर्ष लाभार्थियों की औसत संख्या




लाभार्थियों का 65 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आदि जैसे कमज़ोर वर्ग से हैं।

■ 2015-18 के दौरान एनएएलएसए द्वारा लॉन्च की गई कानूनी सेवा योजनाएं और लक्षित समूह:

- मानसिक रूप से बीमार और विकलांग व्यक्ति
- आदिवासी अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन
- असंगठित क्षेत्र में श्रमिक
- तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार
- बच्चे और उनकी सुरक्षा
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार और दवा खतरे के उन्मूलन
- वरिष्ठ नागरिक
- एसिड हमले के पीड़ित

नाल्सा को दी गयी वित्तीय सहायता

- 2014-15 से 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को ₹ 364 करोड़ आवंटित किए गए जो अब तक की सबसे अधिक राशि है।
- 2007-08 से 2013-14 के दौरान एनएएलएसए को ₹ 237 करोड़ आवंटित किए गए थे।



लोक अदालत

प्रति वर्ष औसत मामलों की संख्या (लाखों में)

672% वृद्धि

354.34



45.87

2007-08 से 2013-14

2014-15 से 2017-18

- 2014 से 2017 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा 140.64 लाख लंबित मामले सुलझाए गए।
- 2015 से दिसंबर, 2017 (209 प्रतिशत) के दौरान नियमित लोक अदालतों में 83.60 लाख लंबित मामले सुलझाए गए।
- 2015 से दिसंबर 2017 के दौरान स्थायी लोक अदालतों में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित 2.92 लाख पूर्व-मुकदमेबाजी मामले सुलझाए गए।
- सुलझाए गए मामले:
 - 2004-05 से 2013-14 - 458.69 लाख
 - 2014-15 से 2017-18 - 1417.36 लाख

- वीडियो और टेलीफोन के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कमज़ोर वर्ग के लोगों को कानूनी सलाह दी जा रही है।
- कवरेज: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्व के 8 राज्य और जम्मू-कश्मीर राज्य में 1800 ग्राम पंचायत।
- 1794 पैरा कानूनी स्वयंसेवकों (पीएलवी) और 1316 ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) ने कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित किये गए।
- 15,821 कमज़ोर वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की गई:
 - 4745 महिलाएं
 - 6630 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग



मुफ्त कानूनी सेवायें

- वकीलों के एक ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से शहरी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/बच्चे/गरीबी रेखा से नीचे नागरिकों जैसे हाशिए वाले समुदाय के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। (कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12ए)
- मामलों की प्रकृति नागरिक/आपराधिक/वैवाहिक/संपत्ति विवाद/घरेलू हिंसा/पीओसीएसओ/दहेज

वकील पंजीकृत

245

मामले सौंपे गये

301

न्याय मित्र

- 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में कमी लाने के लिए और जिला न्यायपालिका की सहायता के लिए।
- राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के 15 जिलों में 15 सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी 'न्याय मित्र' के रूप में कार्यरत।



‘जस्टिस क्लॉक’ के माध्यम से सूचना का वितरण




- शीर्ष प्रदर्शन कर रहे जिला अदालतों में एक जस्टिस क्लॉक जनता को अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- न्यायपालिका के माध्यम से पूरे देश में अदालत परिसरों में इसी तरह के घड़ियों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।



लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान

- मुख्यमंत्री - मुख्य न्यायधीश सम्मेलन, न्यायपालिका से संबंधित विभिन्न समन्वय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अप्रैल, 2016 में आयोजित किया गया।
- लंबित मामलों को कम करने और ताजा सरकारी मुकदमे को कम करने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालय और राज्य 'विशेष बकाया निकासी अभियान' शुरू करेंगे। (10 अप्रैल, 2017 का मंत्रालय का पत्र)
- 24 उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में स्थापित बकाया समितियां।
- 727 फास्ट ट्रैक कोर्ट गंभीर अपराधों के परीक्षण के लिए स्थापित।
- सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए 12 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए।



पुराने और अनावश्यक कानून का निरस्तीकरण

- 1824 अनावश्यक केंद्रीय अधिनियमों की पहचान रद्द करने के लिए की गई है।
- अब तक, 1428 अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया है।
- राज्य सरकारों से संबंधित 229 अधिनियमों को रद्द करने के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया है।
- शेष 167 अधिनियमों को निरस्त करने की कार्रवाई प्रक्रिया में है।




विधायिका प्रस्ताव और अधीनस्थ कानून

विधि विभाग द्वारा जांचे गए विभिन्न विभागों के विभिन्न विधायी प्रस्तावों और अधीनस्थ कानूनों का विवरण

2014 - 2018
(1 अप्रैल, 2018)

■ नए विधान प्रस्तावों की जांच की गई	434
■ संसद में पेश किए गए बिलों की संख्या	190
■ तीन संवैधानिक संशोधन अधिनियमों सहित अधिनियमित बिलों की संख्या	151
■ अधीनस्थ कानून प्रस्तावों की संख्या की जांच की गई	12954



लैंगिक असमानता को कम करने के लिए कदम

- मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 लोकसभा द्वारा 28 दिसंबर 2017 को पारित किया गया था और यह राज्यसभा में लंबित है।
- यह विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और पतियों द्वारा तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक के प्रभाव के साथ तलाक की घोषणा करके तलाक देने को प्रतिबंधित करता है। इस विधेयक के अनुसार इस तरह के तलाक की कोई भी घोषणा 3 साल तक की सजा के साथ अवैध मानी जाएगी और इस तरह के अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है।
- यह विवाहित मुस्लिम महिलाओं तीन तलाक दिए जाने की स्थिति में पति से मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किये गए निर्वहन भत्ता लेने और बच्चों को अपने साथ रखने का अधिकार देता है।



वैकल्पिक विवाद समाधान

- समय सारिणी निर्धारित करके विवादों का त्वरित समाधान करने के लिए मध्यस्थता और समझौता (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 में संशोधन।
- केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की सिफारिश की है, अर्थात् मध्यस्थता परिषद (एसीआई) ग्रेड मध्यस्थ संस्थानों के साथ-साथ मध्यस्थों को मान्यता देना और एडीआर के क्षेत्र में प्रशिक्षण और पुरस्कार प्रमाण पत्र देना।
- एचएलसी ने वैकल्पिक विवाद समाधान (आईसीएडीआर) के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के उपक्रमों का कार्यभार संभाल कर, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होगा, स्थापित करने के प्रस्ताव की भी सिफारिश की है।



न्यायाधिकरणों का आनुपातिकरण

- 15 न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य अधिकारियों के ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है और 36 न्यायाधिकरणों का 18 न्यायाधिकरणों में विलय कर दिया गया है।
- न्यायाधिकरण अधिनियम और अन्य अधिकारियों (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य स्थितियों) नियम, 2017 के माध्यम से न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकारियों की सेवा की समान स्थितियों पर अधिसूचना अधिसूचित की गई है।



राष्ट्रीय मुकदमा नीति

सरकार को एक जिम्मेदार और कुशल वादी बनाने के लिए एक मसौदा राष्ट्रीय मुकदमा नीति तैयार की जा रही है। मसौदा नीति की मुख्य विशेषताएं हैं:

- शिकायत की अंतरिम परीक्षण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने और स्वीकार्य राहत देने के लिए मुकदमों को कम करने के लिए निवारक उपायों को प्रदान करने की नीति।
- सरकार द्वारा उच्चतम स्तरों पर अपील को प्रतिबंधित करना, निर्णय के निहितार्थों की सावधानीपूर्वक जांच करके और ऐसे निर्णयों पर पुनः अपील करना जिनसे सरकार की नीति प्रभावित न हो रही हो।
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारियों के नामांकन द्वारा कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित केस प्रबंधन प्रणाली का कानूनी कार्यों में प्रयोग कर सरकारी हितों की प्रभावी प्रस्तुति और संरक्षण।
- जनहित याचिका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करनाय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और आंतरिक क्षमता निर्माण उपायों में वृद्धि करना।

वादियों के लिए कानूनी सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमबीएस)

- प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप, एलआईएमबीएस अदालत के मामले के विवरण को डिजिटल करता है और एक ही वेब प्लेटफॉर्म पर विभिन्न हितधारकों को लाता है।
- एलआईएमबीएस अदालत के मामले के पूरे जीवन चक्र के दौरान पारदर्शिता के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों के बीच स्वामित्व की भावना लाने करने में मदद करता है।
- एलआईएमबीएस में 260861 से अधिक अदालती मामले उपलब्ध हैं। यहाँ 7451 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और इसमें 15296 वकील और 2095 अदालतें पंजीकृत हैं।
- पोर्टल पर उपलब्ध मध्यस्थता मामलों की संख्या 1068 है।



नोटरी सर्टिफिकेट्स के लिए ऑनलाइन प्रणाली

- नोटरी की नियुक्ति के लिए वकील से आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित की गई है।
- नोटरी प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए एक समान प्रणाली स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
- जनवरी 2014 से 2714 नए नोटरी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 6316 नोटरी प्रमाण पत्र नवीनीत किए गए हैं।





रविशंकर प्रसाद

विधि एवं न्याय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय



विधि एवं न्याय मंत्रालय
भारत सरकार



/OfficialDigitalIndia



@_DigitalIndia



/MyNeGP